भारतीय अर्थव्यवस्था में बीमा का योगदान और *चुनौतियां*

[1.] Mr. Anand Kumar
Research Scholar (Faculty Of Commerce),
University Of Lucknow
Mo. 9621762222
Email- Anand1392@Outlook.Com
[2.] Prof. Somesh Kumar Shukla
Dean (Faculty Of Commerce), University Of Lucknow
Mo. 9450378945
Email- Prof.Someshshukla@Gmail.Com

सार
किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए उस देश में बचत का होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि बचत होने से ही निवेश किया जाता है। देश के निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों से बचत को जुटाना बीमा कंपनी द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके पश्चात इन बचत को आर्थिक विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जाता है। बीमा कंपनी द्वारा कई मूल्यवान आर्थिक कार्य किए जाते हैं जो अन्य प्रकार के वित्तीय मध्यस्थों से काफी हद तक अलग है। अधिकारिक अनुमानों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2019/20 में 7.5% की दर से बढ़ने की संभावना है।

मुख्य शब्द
गैर-जीवन बीमाकर्ता, अर्थव्यवस्था, विनिर्माण, हथकरघा उद्योग, स्वास्थ्य बीमा

परिचय

90 के दशक की शुरुआत में किए गए आर्थिक सुधारों ने विकास का मार्ग खुलने में प्रशस्त किया है। वित्तीय क्षेत्र जिसके कारण आर्थिक विकास में निरंतर वृद्धि होती गई। इसमें बीमा उद्योग के लिए एक फलने - फूलने का बेहतरीन सुअवसर साबित हुआ। आर एन सिन्हा समिति ने सन 2000 में निजी खिलाड़ियों जिनमें अधिकतम बड़ी कंपनियां थी और वैश्विक बीमा के प्रवेश के साथ पिछले लगभग दो दशकों में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। भारत तेजी से दुनिया के सबसे गतिशील बीमा बाजारों में से एक के रूप में उभर रहा है। जिसमें देश की अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक योगदान देने की अकूत क्षमता है। बीमा क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीमा के द्वारा बचत, एक वित्तीय मध्यस्थ ,निवेश गतिविधियों का प्रवर्तक, वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और जोखिम प्रबंधन के रूप में कार्य करता है। व्यक्तियों के लिए जीवन बीमा क्षेत्र जोखिम कवर, निवेश और कर योजना प्रदान करने, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गैर-जीवन बीमा उद्योग परिसंपत्तियों के लिए जोखिम कवर प्रदान करता है। इसके अलावा बुनियादी ढांचा , परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए , निगमों के लिए, निवेश जोखिम, आग और देयता बीमा आवश्यक है। भारत के बीमा उद्योग में **63** बीमा कंपनियां शामिल हैं, जिनमें से **24** जीवन बीमा व्यवसाय में और **39** गैर-जीवन बीमाकर्ता हैं। जीवन बीमाकर्ताओं में, भारतीय जीवन बीमा निगम **(LIC)** एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इसके अलावा, गैर-जीवन बीमाकर्ताओं में, सार्वजनिक क्षेत्र के सात बीमाकर्ता हैं। इनके अतिरिक्त, दो राष्ट्रीय पुन: बीमाकर्ता हैं। भारतीय बीमा बाजार में अन्य हितधारकों में एजेंट (व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट), दलाल, सर्वेक्षक और तीसरे पक्ष के प्रशासक शामिल हैं जो स्वास्थ्य बीमा दावों की सेवा कर रहे हैं।

बीमा उद्योग का विकास

दुनियाभर की सभी अर्थव्यवस्था में बीमा की बढ़ती मांग का सकारात्मक प्रभाव जारी है। भारत दुनिया का दूसरी सबसे अधिक आबादी वाला देश है, और भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि की है, और इसमें लगातार वृद्धि की जाने की संभावना व्यक्त की जाती रही है। प्रति व्यक्ति जीडीपी और डिस्पोजल आय में उच्च वृद्धि ने उच्च संभावित मांग के साथ मिलकर बीमा क्षेत्र में घरेलू और विदेशी दोनों के लिए कई दरवाजे खोल दिए है। भारत में वित्त मंत्रालय और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) विनियामक के साथ मिलकर कानून बनाने और उसे लागू करने और विकासात्मक भूमिका भूमिका निभाने के लिए जिम्मेदार है। सरकार का जीवन बीमा और गैर-जीवन बीमा के कुछ प्रमुख कंपनियों में बहुमत में हिस्सा है। भारत में जीवन बीमा और गैर-जीवन बीमा क्षेत्र जिन्हें 1950 और 1960 के दशक में राष्ट्रीयकरण किया गया, और भारतीय अर्थव्यवस्था का 1990 के दशक में उदारीकरण किया गया। आईआरडीए का गठन 1999 में किया गया जिसके उपरांत सन 2000 में निजी खिलाड़ियों के प्रवेश करने से भारतीय बीमा में तेजी से विकास हुआ। बीमा द्वारा कई महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य किए जाते हैं, जो अन्य वित्तीय मध्यस्थों द्वार नहीं किए जाते हैं। जिसके कुछ कार्यों में सावधि बचत सुविधाएं, जोखिम प्रबंधन और क्षतिपूर्ति की सुविधा, वाणिज्यिक लेनदेन और घाटे को कम करने के साथ-साथ उधार प्रदान करने का प्रावधान, अनिश्चितता सुरक्षा के बदले भुगतान करना आदि बीमा के कार्यों में शामिल है । लेकिन जोखिम का प्रबंधन उद्यमी और बीमा कम्पनियों का एक मूलभूत पहलू है। जिसका प्रबंधन उद्यमी और बीमा कंपनियों

के द्वारा प्रत्येक विकल्पों की लागत और लाभों को मापकर जोखिम/हानि का प्रबंधन किया जाता है। एक संरचित जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में निम्नलिखित विकल्प शामिल है -

1. आकस्मिक नुकसान की पहचान करना।
2. प्रत्येक हानि, जोखिम और वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करना।
3. सबसे अच्छे विकल्प का चयन करना।
4. परिणामों को परिष्कृत करने वाले विकल्पों की निगरानी करना।

जो उद्यमी संरचित प्रक्रिया को लागू नहीं करते हैं वे अभी भी जोखिम के बारे में सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। जो बीमाकर्ता को जोखिम की पहचान और माप करने में विशेष विशेषज्ञता प्रदान करता है। यह विशेषज्ञता उन्हें गैर विशेषज्ञों की तुलना में कम कीमत पर सावधानीपूर्वक निर्दिष्ट जोखिमों को स्वीकार करने में सक्षम बनाती है। बिना बाजार नुकसान के जोखिमों के बारे में जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए प्रोत्सहित करता है। क्योंकि बीमा बाजार के द्वारा अधिक सटीकता के साथ जोखिमों को मापा जा सकता हैं। नतीजतन बीमा बाजार सकारात्मक संकेत उत्पन्न करता है। बीमा द्वारा अर्थव्यवस्था के अधिक उत्पादक उद्योगों के लिए संसाधनों को आवंटित करने में मदद करता है ।बीमा कर्ताओं के पास घाटे को नियंत्रित करने के लिए एक प्रोत्साहन भी है, जो एक महत्वपूर्ण सामाजिक लाभ है। इसके द्वारा नुकसान की आवृत्तियां गंभीरता को कम करते हैं वे जीवन को बचाने और क्षति को कम करने में अंतिम रूप से सहायक होते हैं।[1]

अर्थव्यवस्था के विकास में बीमा का योगदान

भारत में आर्थिक विकास पर बीमा का बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में बीमा सेक्टर का योगदान धीरे-धीरे बढ़ रहा है। इसके अलावा यह आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने में भी अपना महत्वपर्ण योगदान दिया जा रहा है। इसके साथ ही यह रोजगार में प्रत्यक्ष और साथ ही अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर में वृद्धि की जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य प्रदर्शन के कारण जीवन बीमा प्रीमियम का हिस्सा सकल घरेलू बचत (GDS) में लगातार वृद्धि हो रही है। सकल घरेलू बचत घरेलू बीमा उद्योग अर्थव्यवस्था में तेजी से उभर रहा है। जिससे उच्च उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है।

भारत अर्थव्यवस्था में सकल प्रीमियम वित्त वर्ष 2018 में 553000 करोड़ (यूएस $ 94.48 बिलियन) तक, जीवन बीमा से 458000 करोड़ (यूएस $ 71.1 बिलियन) और गैर-जीवन बीमा से 151000 करोड़ (23.38 बिलियन डॉलर) तक पहुंच गया। भारत में कुल बीमा प्रविष्टि 2017 में 3.69 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो 2001 में 2.71 प्रतिशत थी।[2]

वित्तीय वर्ष 2019 (जनवरी 2019 तक) में, नए जीवन बीमा व्यवसाय से प्रीमियम 3.91 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़कर 159000 करोड़ (US $ 22.04 बिलियन) हो गया है। वित्तीय वर्ष 2019 (जनवरी 2019 तक) में, गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 139000 करोड़ (US $ 19.28 बिलियन) तक पहुंच गया, जो प्रति वर्ष 12.65 प्रति वर्ष की वृद्धि दर दर्शाता है।[2] विकास के क्षेत्रों में बीमा का योगदान निम्नलिखित है भारतीय अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति समता (Purchasing Power Parity) आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत की अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार चीन (USD$ 27.4 billions) की अर्थव्यवस्था अमेरिका (USD$21.4 billions) के बाद भारत (USD$ 11.4 billions) की हो गई है।[3] सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आधार पर भारत की रैंक पांचवीं है। भारत में यह रैंक यूनाइटेड किंगडम को पीछे करके प्राप्त किया है, तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत की रैंक 126 है ,ब्रिक्स देशों में सबसे कम है।[4] बीमा के द्वारा देश का आर्थिक विकास के साथ-साथ गरीबों के कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान है। शोधों के द्वारा यह पता चला है कि गैर जीवन बीमा ने कई देशों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चूंकि जीवन बीमा कम आय वाले देशों में कुल बीमा बाजार का मामूली हिस्सा होता है जिस कारण विकास के इंजन के रूप में एक महत्वपूर्ण योगदान नहीं करता है। दूसरी सबसे अधिक आबादी वाली भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे तेजी से बढ़ता क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, वित्तपोषण, अचल सम्पत्ति और व्यवसायिक सेवाएं जीडीपी का 54% से अधिक हिस्सा सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाओं का है। कृषि, वानिकी और मछली पालन का लगभग जीडीपी का 12% उत्पादन होता है, लेकिन श्रमबल का 50% से अधिक उपयोग इन्हीं क्षेत्रों में होता है। विनिर्माण जीडीपी के 29% का योगदान और विनिर्माण, खनन, उत्खनन, बिजली, गैस और शेष का 5% का योगदान है।[5]

1. बुनियादी ढांचे को विकसित करने में बीमा का योगदान

आम तौर पर यह महसूस किया गया है कि मजबूत बीमा उद्योग वाले देश के पास एक मजबूत बुनियादी ढांचा और मजबूत पूंजी होती है। बीमा लंबी अवधि के लिए निरंतर पूंजी का निर्माण करता है। जिससे लंबी अवधि की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण करना काफी आसान हो जाता है। यह समवर्ती आयोजन के माध्यम से व्यक्ति और व्यवसायियों को अचानक बाजार के प्रतिकूल होने से बचाता है। आर्थिक विकास के लिए एक अच्छी तरह से विकसित बीमा क्षेत्र की आवश्यकता होती है। क्योंकि यह बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करता है और साथ ही साथ जोखिम लेने की क्षमता को मजबूत करता है। बुनियादी क्षेत्रों में रेलवे का विकास, रेलवे लाइन का विद्युतीकरण, रेलवे लाइन का दोहरीकरण, रोडवेज, हाईवे आदि को विकसित करना सम्मिलित है। मार्च 2015 भारती जीवन बीमा निगम और IFRC (Indian Finance Railway Cooperation) के बीच एक हस्ताक्षर किया गया जिसमें LIC के ₹ 1.5 लाख करोड़ के बांड जारी किए जाएंगे। इस राशि का प्रयोग रेलवे के विकास में किया जाएगा।

2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए बीमा का योगदान

भारत जैसे पूंजी की कमी वाले देश के विकास में एफडीआई का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी देश की अर्थव्यवस्था की उच्च वृद्धि से आकर्षित होकर अधिक मात्रा में एफडीआई प्रवाह होता है। वर्तमान समय में बीमा क्षेत्र में कुल एफडीआई की सीमा 26% से बढ़ाकर 49% की अनुमति प्रदान कर दी गई है। हालांकि मध्यस्थ मार्ग (जैसे वचन पत्र) से विदेशी निवेश को 100% की अनुमति प्रदान की गई है। पिछले कुछ वर्षों में डीआईपीपी (डिपार्मेंट आफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन) के आंकड़ों के अनुसार बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 3% से बढ़ रही है। जो यूएसडी 44.8 5 बिलियन है । बीमा क्षेत्र में एफडीआई का विगत वर्षों में प्रवाह का आंकड़ा निम्नलिखित है –

2013-14 - 8%, 2014-15- 27%, 2015-16- 29%, 2016-17- 8.67% के दर से बढ़ रही है।

YEAR	FDI FLOW
2013-14	8%
2014-15	27%
2015-16	29%
2016-17	8.67%

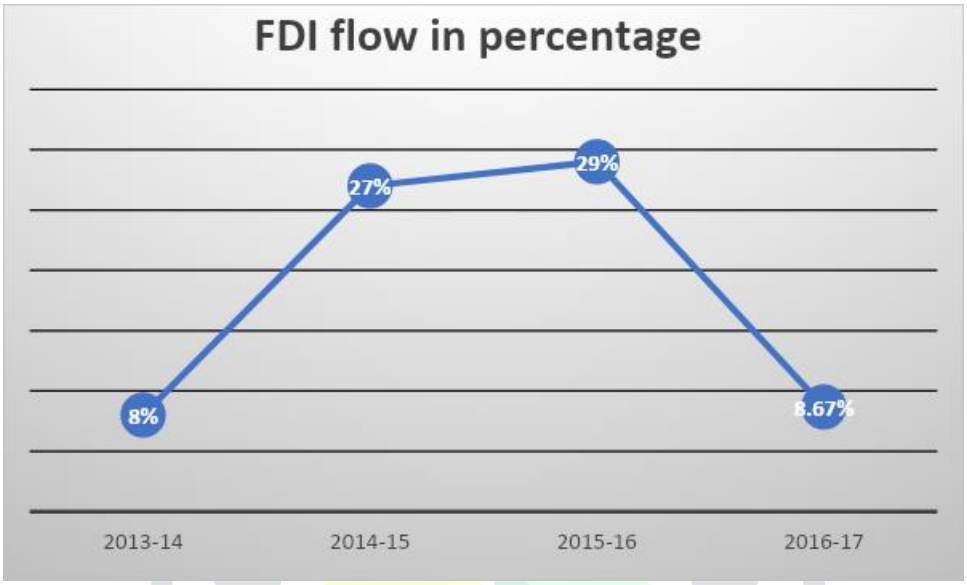

Source:- Economictimes.indiatimes.com

अर्थव्यवस्था की अन्य प्रमुख क्षेत्रों में उच्च निवेश की उम्मीद है। इसलिए उदारीकरण के द्वारा बीमा क्षेत्र में एफडीआई के मानदंडों को और सरलीकरण के द्वारा बाजार के अनुकूल बनाए जा रहे है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में बीमा के साथ-साथ अन्य क्षेत्र को भी फायदा होगा।

3. रोजगार में बीमा का योगदान

बीमा अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के रोजगार पैदा करने में मदद करता है। ये नियमित नौकरियों के साथ बीमा क्षेत्र से संबंधित पेशेवरों की एक श्रंखला मांग को हमेशा बनाए रखता है। जिसमें मुख्य रूप से दलाल के रूप में, बीमा सलाहकार के रूप में, एजेंट के रूप में, हमीदार (underwriter), दावा प्रबंधक और सहायक आदि सम्मिलित होते हैं। बढ़ते बीमा व्यवसाय ने अत्यधिक कुशल पेशेवरों की मांग को भी बढ़ावा दिया है। जिस कारण अकुशल लोगों के ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जिस कारण वे अपने रोजगार से वंचित हो रहे हैं।

4. बिना आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान देता है

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बीमा उस देश के आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान देता है। जिससे गैर-जीवन बीमा का योगदान विकासशील और उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था दोनों में अधिक होता है। जबकि जीवन बीमा केवल उच्च वाली अर्थव्यवस्थाओं के विकास से जुड़ा हुआ है। जीवन बीमा का योगदान मुख्य रूप से वित्तीय मध्यस्थता और लंबे समय के माध्यम से जुड़ा है।

5. बीमा और बैंक एक दूसरे के मजबूत पूरक के रूप में

अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किसी विदेश में बीमा और बैंकिंग प्रणाली का मजबूत होना अति आवश्यक है । यद्यपि बीमा और बैंक प्रत्येक के कार्य अलग-अलग होता है , फिर भी दोनों के कार्य में पूरकता पाई जाती है। जो अर्थव्यवस्था की सकारात्मक वृद्धि के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। क्योंकि बीमा के द्वारा ही अधिक मात्रा में पूंजी को एकत्र किया जा सकता है तथा बैंक के द्वारा पूंजी को अन्य क्षेत्रों में निवेश किया जाता है जिससे अर्थव्यवस्था में काफी तेजी आती है।

6. सूक्ष्म क्षेत्रों का अर्थ्वस्थाओं में योगदान

एक अर्थव्यवस्था के विकास और दक्षता के लिए बीमा का योगदान केवल एक प्रवेश बिंदु नहीं है। बल्कि अर्थव्यवस्था के विकास में इसका प्रमुख भूमिका होती है। गरीबी उन्मूलन और गरीबों के कल्याण में बीमा की अधिक संभावना है। हालांकि इस बिंदु पर मात्रात्मक साक्ष्य बहुत दृढ़ नहीं है। गरीब परिवारों और छोटे पैमाने पर उद्यमियों के तथाकथित सूक्ष्म बीमा का प्रावधान सामाजिक मूल्य विकसित करने

के लिए व्यापार मॉडल और उत्पादकों के साथ वाणिज्यिक रूप से बीमा का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाना चाहिए। स्थाई रूप से एक गरीब परिवार की आजीविका और संभावनाएं निर्धारित किया जाना चाहिए। जब कृषि पैदावार सूखे या बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सुनामी आदि से खराब होती है। तब मुख्य रूप से किसानों का स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में देरी हो सकती, घर के बच्चों की अनिश्चित काल के लिए शिक्षा रोक दी जाती है और भूमि, पशुधन या कृषि उपकरण स्थाई रूप से साहूकारों द्वारा जप्त कर लिया जाता है। इस तरह के भयावह नुकसान के परिणामों से बचने के लिए व्यक्तिगत या समुदायों के स्तर पर जोखिमों को कम करने के लिए बीमा करवाया जाता है, ताकि संपत्ति और आय में विविधता बनी रहे।

गरीब आबादी के लिए बीमा स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदाएं, मौसम संबंधी फसल बीमा के लिए काम दरों पर सरकारों के द्वारा सार्वजनिक बीमा कंपनियों या निजी बीमा कंपनियों के द्वारा कोई बीमा योजना के माध्यम से बीमा करवाने के लिए सरकारी आदेश जारी किया जा सकता है। सूक्ष्म बीमा में निम्नलिखित शामिल किए जाते हैं जो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।[6] एसएमई इंश्योरेंस कवर अब भारत में बढ़ रहे उत्पादों और इन उत्पादों की पेशकश करने वाली कंपनियों के संबंध में बढ़ रहा है। एक एसएमई पैकेज कवर एकल पॉलिसी में किसी की पसंद के कवर को संयोजित करने की सुविधा देता है। मानक पैकेज नीतियों में आग और प्राकृतिक खतरों और चोरी कवरेज से कवर शामिल हैं। हालांकि, इस क्षेत्र ने अभी भी एसएमई सेगमेंट के लिए अधिक अनुकूलित और अनुकूलित उत्पादों की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं किया है।

7. बीमा का कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR)

सरकार के स्वामित्व वाली बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम (LIC) को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) के दायरे में लाने की योजना बना रही है। इससे बीमा कंपनी को अपने अधिशेष फंड का कम से कम 2 प्रतिशत सामाजिक गतिविधियों पर खर्च करना पड़ेगा।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार, केंद्र का विचार है कि देश के सबसे बड़े बीमाकर्ता LIC को सामाजिक कल्याण पर अधिशेष निधि के एक हिस्से का योगदान करना चाहिए। वर्तमान में, बीमाकर्ता पर ऐसी गतिविधियों पर एक निश्चित राशि खर्च करने की कोई बाध्यता नहीं है।

25 अप्रैल 2018 को मुंबई में संसदीय समिति ने बैंकों और एलआईसी सहित अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा सीएसआर नियमों के अनुपालन की समीक्षा की। समिति ने उल्लेख किया कि एलआईसी अधिनियम, जो राज्य के स्वामित्व वाले निगम को नियंत्रित करता है, कंपनी अधिनियम के विपरीत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जो कंपनियों को सीएसआर पर अपने शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत वापस गिराने के लिए बाध्य करता है।

एलआईसी की 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, इसमें 4400 करोड़ रुपये से अधिक का अधिशेष था। एलआईसी अधिनियम के तहत, उसे अपने अधिशेष का 95 प्रतिशत पॉलिसीधारकों को बोनस के रूप में वितरित करना होगा, जबकि शेष 5 प्रतिशत सरकार का हिस्सा है। इसलिए, यदि नया प्रावधान लागू हो जाता है, तो एलआईसी को कल्याणकारी गतिविधियों के लिए अपने अधिशेष कोष से कम से कम 880 करोड़ रुपये जमा करने होंगे।

LIC के एक पूर्व अधिकारी ने कहा, "LIC के पास धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए अपना कल्याण कोष है जिसे CSR गतिविधियों के रूप में बढ़ाया और संचालित किया जा सकता है।" वह गरीबी या संकट, शिक्षा की उन्नति आदि से राहत प्रदान करने के लिए 2006 में स्थापित LIC गोल्डन जुबली फाउंडेशन का जिक्र कर रहे थे, मार्च 2017 तक, इस फाउंडेशन के पास 160 करोड़ रुपये का कोष था, जो एलआईसी के आकार के सापेक्ष संगठन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यह "देश के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान के लिए, बहुत अधिक होना चाहिए।"

अपनी 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट में, LIC ने केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे कि आम आदमी बीमा योजना के तहत तय किए गए दावों को भी रद्द कर दिया था और यह भी कहा था कि यह बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र में निवेश के माध्यम से सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दे रहा है जिसमें बिजली, आवास और पानी शामिल हैं।

सरकार सक्रिय रूप से सीएसआर खर्च और क्या कंपनियां नियमों का पालन कर रही हैं कि निगरानी कर रही है । जनवरी में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने सभी संबंधित विभागों को उन कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जिन्होंने सीएसआर मानदंडों का अनुपालन नहीं किया है। राज्यसभा को दिए जवाब में, मंत्रालय ने 196 कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया है जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2014-15 में कानून का उल्लंघन किया था। 2014-15 में CSR की ओर कुल 5,870 कंपनियों ने 9550 करोड़ रुपये खर्च किए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2015-16 में, 7,983 कंपनियों ने 13625 करोड़ का सीएसआर व्यय किया।[7]

8. बीमा से सरकार को लाभ

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 1,80,117 करोड़ रुपये की निवेश आय अर्जित की। LIC के लिए, जो देश का सबसे बड़ा घरेलू संस्थागत निवेशक भी है, यह आय सरकारी बॉन्ड और राज्य विकास ऋण, ब्याज, कॉर्पोरेट बॉन्ड ब्याज, लाभांश आय और इक्विटी की बिक्री पर निवेश के माध्यम से अर्जित की गई थी। वर्ष (2016-17) के दौरान, एलआईसी ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में 260000 करोड़ रुपये का निवेश किया, जिसमें साल के दौरान औसत वार्षिक आय 7.65 प्रतिशत थी।

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने कहा है कि उसने वित्त वर्ष 2017 के लिए सरप्लस के रूप में 2,206.70 करोड़ रुपये का सरकार को भुगतान किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.79 प्रतिशत अधिक है।

निगम के अध्यक्ष वी के शर्मा द्वारा मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए एक्चुअरी मूल्यांकन से उत्पन्न अधिशेष में सरकार की हिस्सेदारी के रूप में वित्त मंत्री अरुण जेटली को 2,206.70 करोड़ रुपये का लाभांश चेक प्रदान किया।

मार्च 2016 में निगम के पास 38000 करोड़ रुपये का अधिशेष था जो वर्ष में 16.14 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 44,134 करोड़ रुपये हो गया है। वित्त वर्ष 2016 में निगम ने सरकार को 500 करोड़ रुपये का एकमुश्त बोनस भी दिया था । वर्ष 2016 में, एलआईसी ने सरकार को 1,900 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।

एलआईसी, जिसने अपने निगमन (संसद द्वारा पारित) के 61 वर्ष पूरे कर लिए हैं, 2572000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन करता है और सालाना आधार पर 492000 करोड़ रुपये की वार्षिक आय होती है। वर्ष 2016-17 में निगम की अपनी बाजार हिस्सेदारी जीवन बीमा के क्षेत्र में 70.44 थी। जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 71.07 प्रतिशत हो गई है।

देश के सबसे बड़े वित्तीय संस्था ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में बीमा पॉलिसी की परिपक्वता में 98.34 प्रतिशत और मृत्यु के दावों में 99.63 प्रतिशत दावों का निपटान किया है।[8]

जबकि इक्विटी (समता अंश) में LIC द्वारा 41,751 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था, लेकिन वर्ष 2016 के दौरान इक्विटी की बिक्री से 19,302 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। कॉर्पोरेट बॉन्ड में 27,350 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था।

केंद्र सरकार ने 580000 करोड़ रुपये के अपने उधार कार्यक्रम की घोषणा की है और यह निर्धारित किया है कि राज्य सरकारें भी 2018 वित्त वर्ष के दौरान 400000 करोड़ रुपए का बांड जारी करें।[9]

1. घरेलू बीमा

घरेलू स्तर पर बीमा में पशुधन बीमा , हथकरघा उद्योग , फसल आदि बीमा कराया जाता है। जो सूक्ष्म वित्त प्रदाताओं और अन्य समुदाय आधारित मध्यस्थ के द्वारा बीमा किया जाता है। लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में 45%, औद्योगिक उत्पादन में 40%, निर्यात में 40%, रोजगार में 42 मिलियन और हर साल एक मिलियन नौकरियां पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई एसएमई उद्यमी उद्यम करते हैं, जहां प्रमोटर ने अपनी बचत का निवेश किया है या नया उद्यम शुरू करने के लिए पैसे उधार लिए हैं।

2. प्राकृतिक आपदाएं मौसम फसल बीमा

भारत देश में प्राकृतिक आपदा का प्रकोप बहुतायत देख जाता है। जिसमें बाढ़ , चक्रवात , भूमिस्खलन , भूकंप , तड़ित झंझा , सुनामी आदि समय समय पर आते रहते हैं । जिस कारण किसानों को काफी मात्रा में आर्थिक क्षति होती है । जिसकी क्षतिपर्ति के लिए बीमा करवाया जाता है । परन्तु निम्न आय वाले परिवार अपनी सुरक्षा करने में उच्च आय वर्ग के लोगों की तुलना में बहुत असमर्थ होते है । क्योंकि निम्न आय के छोटे किसान परिवारों के द्वारा पूंजी का अधिकतम भाग कृषि पर व्यय हो जाते हैं । इस वजह से दोनों के जीवन में बहुत बदलाव देखा जाता है । इस अंतर को देखते हुए केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा आर्थिक मदद बीमा कराना के लिए दिया जाता है ।हम मैक्सिको तथा तुर्की से सीख ले सकते हैं जहां पर भूकंप से जोखिम को कम करने के लिए सरकार द्वारा बीमा कवर प्रदान किया जाता है ,और पूर्नबमा के माध्यम से पूंजी बाज़ार को वित्त पोषित किया जाता है । एशिया और अफ्रीका के देशों में मौसम से जुड़े कृषि नुकसान(वर्ष 2016-17 के लिए बीमा कंपनियों द्वारा 15349.68 करोड़ रुपए की क्षतपूर्ति 139 लाख किसानों को की गई) के खिलाफ बीमा करने के लिए मौसम डेरिवेटिव डिजाइन किया गया है ।

3. स्वास्थ्य बीमा

विकसित अर्थव्यवस्था की तुलना में अल्पविकसित या अविकसित अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा स्वास्थ्य बीमा बहुत कम मात्रा में बीमा पॉलिसी जो खरीदा जाता है। स्वास्थ्य बीमा प्रदाताओं द्वारा चाहे वह सरकारी या निजी कंपनी हो सरकार द्वारा सकारात्मक भागीदारी निभाई जाती है । हालांकि गरीब परिवार एक मजबूत प्रवृत्ति यह देखी जाती है कि वे स्वास्थ्य बीमा के लागत के अधिक होने के कारण अधिक में स्वस्थ्य बीमा नहीं करवाया जाता है । जिससे अर्थवयवस्थाओं में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है । क्योंकी इससे पूंजी प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है । इन प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सामाजिक - आर्थिक जनगणना 2011 के आधार मानकर प्रत्येक परिवार का स्वास्थ्य बीमा प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आयुष्मान भारत के अन्तर्गत किया जा रहा है । इस योजना के तहत देश भर में 10.74 करोड़ के गरीब और कमजोर परिवार के लगभग 50 करोड़ तक के लाभार्थी शामिल है । इस प्रकार देश के गरीब लोगों को स्वास्थ्य बनाया जा सकता है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी बहुत लाभ प्राप्त होने की उम्मीद की जाती है । फिक्की-केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार, एसएमई के केवल 10% कर्मचारियों के पास स्वास्थ्य कवर है

4. छोटे उद्यमीयों का बीमा में योगदान

मध्यम और उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए छोटे उद्यमियों का योगदान सर्वविदित है। हालांकि कई अल्पविकसित अर्थवयवस्थाओं में स्टार्टअप और छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों उद्यमियों द्वारा बीमा कवर नहीं कराया जाता है जिस कारण अर्थवयवस्थाओं में पूंजी प्रवाह धीमी गति से होता है। जिससे वे अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर पाते हैं। अतः आकस्मिक क्षति से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं हो पाती है। जैसे-जैसे इन समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है और सरकार के द्वारा कानून बनाकर बीमा कराना अनिवार्य कर दिया जाता है। बड़े उद्यमियों द्वारा पूंजी की उपलब्धता होने से जोखिम बीमा करा लिया जाता है। जबकि छोटे उद्यमियों द्वारा अपनी समस्त पूंजी अपने व्यवसाय में ही लगा दी जाती है जिस कारण वे जोखिम बीमा कराने में असमर्थ होते है।
अतः सरकार के द्वारा इनको बीमा सुविधा लेने के लिए कुछ छूट प्रदान की जाती है। क्योंकि छोटे उद्योग द्वारा सबसे अधिक मात्रा में रोजगार का सृजन किया जाता है। जो अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है।[7]

निष्कर्ष

बीमा का किसी भी अर्थव्यवस्था में योगदान काफी महत्वपूर्ण होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बीमा का योगदान धीरे-धीरे बढ़ रहा है। चाहे वह जीवन बीमा हो या फिर गैर - जीवन दोनों क्षेत्रों में बीमाकर्ताओं की संख्या, बीमा खरीदने वालों की संख्या, तथा बीमा से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि देखी जा सकती है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है और देश की जीडीपी वृद्धि में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

Reference-

1.https://pdfs.semanticscholar.org/e828/af7ff7d9b7df503521ffb99681705ec26f65.pdf

2. https://www.sbigeneral.in/SBIG/blog/importance-sme-insurance

3. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)

4.https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/india-moves-up-one-notch-to-126-in-gdp-per-capita-terms/articleshow/61711262.cms

5. http://statisticstimes.com/economy/sectorwise-gdp-contribution-of-india.php

6. https://www.ibef.org/industry/insurance-sector-india.aspx

7.https://www.business-standard.com/article/companies/centre-plans-to-make-2-csr-spending-mandatory-for-life-insurance-corp-118050600579_1.html

8.https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/lic-investment-income-at-rs-180117-crore-in-2016-17/articleshow/58774413.cms

9.https://www.thehindubusinessline.com/money-and-banking/lics-surplus-payout-to-govt-up-158-at-rs-2207-cr-in-fy17/article9881194.ece